सं. 4/25/2008- पी एंड पीडब्ल्यू (डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक: 02 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय- कुटुंब पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता की मंजूरी- पात्रता की तारीख के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 19.12.1997, 24.08.1998, 30.12.1998 और 17.04.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/57/97-पी एंड पीडब्ल्यू (सी) द्वारा सीजीएचएस के दायरे में निवास नहीं करने वाले पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को 100/- रु. प्रतिमाह के नियत चिकित्सा भत्ता की मंजूरी संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। इस विभाग के दिनांक 26.05.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/25/2008-पी एंड पीडब्ल्यू (डी) द्वारा इस नियत चिकित्सा भत्ता की राशि को दिनांक 1.9.2008 से 100/- रु. से बढ़ाकर 300/- रु. करने के निर्देश जारी किए गए थे।

2. मौजूदा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने के पश्चात् औपचारिकताएं पूरी करने और कुटुंब पेंशन की मंजूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। इस विभाग में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कुछ विभागों/संगठनों द्वारा अगले कुटुंब पेंशनभोगी को कुटुंब पेंशन की मंजूरी की तारीख से नियत चिकित्सा भत्ता मंजूर किया जाता है। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशनभोगी को पात्रता की तारीख से लेकर कुटुंब पेंशन की मंजूरी की तारीख तक की अवधि का नियत चिकित्सा भत्ता नहीं मिल पाता है।

3. इस विभाग द्वारा मामले की समीक्षा की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां मौजूदा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को नियत चिकित्सा भत्ता मिल रहा था, वहां क्रम में अगले कुटुंब पेंशनभोगी को उसी तारीख से नियत चिकित्सा भत्ता दिया जाए जिस तारीख से वह कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होता है, बशर्ते वह नियत चिकित्सा भत्ता पाने की अन्यथा शर्तें पूरी करता/करती हो।

दीपा आनन्द

(दीपा आनंद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644636

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(डाक सूची के अनुसार)